तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/1/20-	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 128 LRA पर एक तरफा बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थना पत्र 128 LRA को स्वीकार किया जाता है। मौजा मनकेसर प० ह० डोराई की खसरा सं० 329/183 व 330/183 किता-2 रकबा 1.9430 है० भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में कराये जाने हेतु तहसीलदार बैरू को 500/- रु० अमीन शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बैरू को भेजी जावे। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर आरोपित किया। पत्रावली फैसल शुदा की श्रेणी नम्बर से कम हो।
	(हस्ताक्षर) 13.1.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 134 / 2019

नोला पिता भूरा जी जाति धाकड निवासी डोराई तहसील बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. नारू पिता प्यारा ज ाति भील निवासी मनकेसर तहसील बेगूँ
2. भैरूलाल पिता देवालाल जाति भील निवासी मनकेसर तह0 बेगूँ
3. अमरचन्द पिता मेघा जाति धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
4. डालूलाल पिता चुन्नीलाल जाति भील निवासी डोराई त ह0 बेगूँ
5. भूमिधारी तहसीलदार ,बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित : श्री कैलाशचन्द्र धाकड
अधिवक्ता प्रार्थी

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला-चित्तौडगढ़

आदेश दिनांक:: 13.01.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द धाकड द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनकेसर पटवार हल्का डोराई तहसील बेगूँ में प्रार्थी के नाम कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 37 में अंकित आराजी संख्या 329 / 183 रकबा 0.8090 हैक्टर, 348 / 183 रकबा 1.1340 हैक्टर प्राथी के खातेदारी एवं कबजे काश्त में स्थित है। जिसके पडोसी पूर्व में विपक्षी संख्या एक की आराजी, पश्चिम में विपक्षी संख्या दो की आराजी , उत्तर में विपक्षी संख्या तीन व चार की आराजी, एवं दक्षिण में आम रास्ता है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित एवं पडोस मध्य स्थित की आराजीयात पर प्रार्थी निरन्तर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और लगान भी समय समय पर जमा करवाता आ रहा है किन्तु विपक्षीगण की आराजीयात भी पडोस में होकर आये दिन सीमा लगान एवं फसल घास आदि काटते से मौके पर विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित आराजी के विवाद के स्थायी समाधान हेतु विपक्षीगण को आपसी सहमति से तहसील में चलकर स्थायी सीमांकन बाबत पत्थरगढी करवाने के लिए कहा किन्तु विपक्षीगण ने मना कर दिया है। यह कि दिनांक 15.09.2019 को प्रार्थी ने विपक्षीगण को आपसी सहमति से तहसील में चल कर स्थायी समाधान बाबत पत्थरगढी करवाने की बात कही थी परन्तु विपक्षीगण द्वारा मना करने से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के श्रृवणाधिकार क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार फरमाया जाकर कल म संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात की मौके पर स्थायी सीमांकन हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में विपक्षीगण संख्या 1 से 4 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रकरण में तहसीलदार भूमिधारी के जवाब की आवश्यकता नहीं होने से उनका जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रेकार्ड अनुसार प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा मनकेसर प0ह0 डोराई सम्वत 2073–76 का अवलोकन किया गया, प्रार्थी नोला पिता भूरा धाकड वर्णित आराजी संख्या 329/183 व 348/183 किता– 2 कुल रकबा 1.9430 हैक्टर भूमि के खातेदार कृषक है जिन्हें अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आ.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा मनकेसर प0ह0 डोराई की आराजी संख्या 329/183 व 348/183 किता– 2 कुल रकबा 1.9430 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिती में किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी आदेश की पालना में इस आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

13.1.2020

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2020/08 दिनांक : 21/01/2020

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूं को पत्थरगढी किये जाने हेतु पालनार्थ दी जाती है।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner